भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1354

उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

उच्च गुणवत्तापूर्ण बहु-विषयक शिक्षा प्रणाली

†1354. **श्री कल्याण बनर्जी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 2030 तक देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए राज्य सरकारों से कोई सुझाव और रिपोर्ट प्राप्त हुई और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) आधारभूत ढाँचे, विनियमों, शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के संदर्भ में शिक्षा विकास के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) केंद्रीय बोर्ड संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों के लिए संयुक्त राष्ट्र नामांकन और छात्र प्रशासन विभाग (डीईएसए) के एसडीजी 4 के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 शुरू करने के लिए सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और पंजीकरण प्रक्रिया और/या उनमें स्कूल स्थापित करने की योजना के लिए निर्देश क्या हैं; और
(घ) नई उच्चतम गुणवत्ता वाली बहु-विषयक शिक्षा प्रणाली प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, केंद्र और राज्य दोनों की यह समान जिम्मेदारी है कि वे सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, शिक्षा से संबंधित मंत्रालय, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के विनियामक और क्रियान्वयन निकायों ने एनईपी, 2020 के कार्यान्वयन के लिए पहलें की हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सूचित किया है कि उसने संबद्धता के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे के मानदंडों को अनिवार्य किया है। सीबीएसई ने पारदर्शिता, गुणवत्ता आश्वासन और सरलीकृत प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए, एनईपी 2020 के अनुरूप संबद्धता उप-नियमों में भी संशोधन किया है। सीबीएसई ने शिक्षकों के लिए 50 घंटे का वार्षिक प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया है और देश भर में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) का एक नेटवर्क स्थापित किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि उसने वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान पूंजीगत परिसंपत्तियों के अंतर्गत यूजीसी वित्तपोषित केंद्रीय विश्वविद्यालयों को क्रमशः 637.25 करोड़ रुपये, 835.00 करोड़ रुपये और 994.32 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है। एनईपी, 2020 के कार्यान्वयन की दिशा में यूजीसी द्वारा की गई पहलों में (i) अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, (ii) संयुक्त और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों के लिए विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) के साथ अकादमिक सहयोग,

(iii) कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव संबंधी उपाय, (iv) स्नातक-पूर्व डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम शिक्षण मानक, और (v) भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के परिसरों की स्थापना और संचालन; राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क की अधिसूचना; और (i) शैक्षणिक कार्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश और निकास, (ii) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को बहु-विषयक संस्थानों में परिवर्तित करना, (iii) इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता युक्त डिग्री कार्यक्रम आदि से संबंधित दिशानिर्देशों को जारी करना शामिल है।

उच्च शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) की पुनर्कल्पना की गई है और इसे 144 मालवीय मिशन केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। ये केंद्र विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता और कौशल का संवर्धन कर रहे हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) शिक्षक अधिगम (एटीएएल) अकादमी ने 1900 संकाय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से एआई, आईओटी, एमएल, डीएल, एआर/वीआर, रोबोटिक्स, ब्लॉक चेन प्रबंधन जैसे उभरते हुए विशिष्ट क्षेत्रों में संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया है।

इसके अतिरिक्त, उच्चतर शिक्षा विभाग ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तपोषित करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

(ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 को सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अनुरूप तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला, बहु-विषयक, 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल बनाकर भारत को एक जीवंत ज्ञान-आधारित समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में परिवर्तित करना और प्रत्येक छात्र की विशिष्ट क्षमताओं को उजागर करना है।

सीबीएसई ने एसडीजी 4 के अनुरूप एनईपी, 2020 के लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए स्कूल एफ़िलिएशन रि-इंजीनियर्ड औटोमेशन सिस्टम (सरस) 6.0 के माध्यम से अपनी संबद्धता प्रक्रिया को फिर से डिजाइन किया है। यह ऑनलाइन प्रणाली पारदर्शिता, कुशलता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, जिससे प्रक्रियागत बोझ कम होता है और नए स्कूलों के लिए संबद्धता प्राप्त करना आसान हो जाता है। सीबीएसई संबद्धता के लिए आवेदन करने के इच्छुक नए संभावित स्कूलों के लिए दिशानिर्देश https://saras.cbse.gov.in/saras/manuals/ SARAS_MANUAL_6_0.pdf पर उपलब्ध हैं।

(घ): एनईपी-2020 के अनुसरण में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क और बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क विकसित किए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रसारित किए गए हैं।

बहु-विषयक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, यूजीसी ने दिनांक 11.05.2023 को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) को भी अधिसूचित किया है। एनएचईक्यूएफ के सिद्धांतों के आधार पर, यूजीसी ने स्नातक-पूर्व कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क को भी अधिसूचित किया है।

*****